दिनांक 26.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 27/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/थाना चुनार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.05.2023 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त लवकुश उर्फ रमेश सहित अभियुक्त 2–जितेन्द्र कुमार 3–संजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त लवकुश उर्फ रमेश जनपद मीरजापुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लवकुश उर्फ रमेश निवासी रसार थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

2–जितेन्द्र कुमार निवासी हलिवंता कला थाना नगर उतारी जनपद गणवा झारखण्ड।

3–संजीव कुमार निवासी बंगरे थाना मदनपुर जनपद औरंगाबाद बिहार।

बरामदगी

1–01 पिकअप वाहन आदि।

जनपद कौशाम्बी/थाना करारी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.05.2023 को थाना करारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परसरा चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना करारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय उर्फ गुड्डू निवासी चक चमरूपुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।

जनपद मथुरा/थाना सुरीर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 बुलेट मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 26.05.2023 को थाना सुरीर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना एक्सप्रेस वे सर्विस रोड जंगल से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–दीपू उर्फ मानवेन्द्र 2–भोलू उर्फ नागेन्द्र 3–कोमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार 500 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 बुलेट मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.05.2023 को थाना सुरीर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सुरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपू उर्फ मानवेन्द्र निवासी गढ़ी गोहनपुर हयातपुर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

2–भोलू उर्फ नागेन्द्र निवासी गढ़ी गोहनपुर हयातपुर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

3–कोमल निवासी गढ़ी गोहनपुर हयातपुर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूट के 50 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–02 मोबाइल फोन।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–01 बुलेट मोटर साइकिल आदि।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 40 हजार रूपये नगद**
- **लूट का मोबाइल फोन, इन्वर्टर बैट्री**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार बरामद**

दिनांक 26.05.2023 को थाना कोसीकलां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जाव चौराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–नरेन्द्र उर्फ निरेन्द्र 2–अवतार 3–कैलाश उर्फ भटिन्डा 4–रामहरि उर्फ पपोल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 40 हजार रूपये नगद, लूट का मोबाइल फोन, इन्वर्टर बैट्री, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22/23.05.2023 को थाना कोसीकलां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बमदाशों द्वारा हत्या सहित लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नरेन्द्र उर्फ निरेन्द्र निवासी ग्राम जाव थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

2—अवतार निवासी ग्राम जाव थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

3—कैलाश उर्फ भटिन्डा निवासी ग्राम जाव थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

4—रामहरि उर्फ पपोल निवासी ग्राम जाव थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—लूट के 40 हजार रूपये नगद।

2—लूट का मोबाइल फोन, इन्वर्टर बैट्री।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रौजा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लाख 40 हजार 300 रूपये नगद**
- **भारी मात्रा में अवैध निर्मित/अर्द्ध निर्मित शराब**
- **शराब बनाने के उपकरण, रैपर, बारकोड, आटोमैटिक मशीन आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 दो पहिया व 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2023 को थाना रौजा व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सत्यम इम्पीरियम होटल के पास से 03 अभियुक्तों 1— दीपक

उर्फ मोनू 2–रजनीश 3–प्रशान्त कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 लाख 40 हजार 300 रूपये नगद, भारी मात्रा में अवैध निर्मित/अर्द्ध निर्मित शराब, शराब बनाने के उपकरण, रैपर, बारकोड, आटोमैटिक मशीन आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 03 मोबाइल फोन, 02 दो पहिया व 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उर्फ मोनू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रौजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक उर्फ मोनू निवासी मो0कटिया टोला थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

2–रजनीश निवासी उल्लियापुर चनवा थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी।

3–प्रशान्त कुमार निवासी मो0 दातागंज थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–02 लाख 40 हजार 300 रूपये नगद।

2–भारी मात्रा में अवैध निर्मित/अर्द्ध निर्मित शराब।

3–शराब बनाने के उपकरण, रैपर, बारकोड, आटोमैटिक मशीन आदि।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5–03 मोबाइल फोन।

6–02 दो पहिया व 01 चार पहिया वाहन आदि।

एस0टी0एफ0–हत्या की घटना में जनपद गोण्डा से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त रामकिशोर तिवारी गिरफ्तार।

दिनांक 25–05–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को हत्या की घटना में जनपद गोण्डा से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त रामकिशोर तिवारी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

रामकिशोर तिवारी पुत्र बनवारी तिवारी परासपट्टी मझवार, थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा।

बरामदगीः–

1– रू0 2,570/–नगद

2– 01 अदद ग्रीन कार्ड।

3– 01 अदद एटीएम कार्ड।

4– 01 अदद आधार कार्ड।

5– 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

दानपुरवा चौराहा, हनुमानगढ़ी के सामने थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज, गोण्डा दिनांक 25–05–2023 समय 22.50 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 24–05–2023 को निरीक्षक घनश्याम यादव के नेतृत्व में मु0आ0 गिरजाशंकर यादव, कुलदीप सिंह, दिलीप, मुकेश की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद गोण्डा में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 184/2020 धारा 302, 201 भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी रामकिशोर तिवारी दानपुरवा चौराहा, हनुमानगढ़ी के सामने थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज, गोण्डा के पास आने वाला है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2020 में अवैध संबंधों के चक्कर में अभियुक्त राम किशोर तिवारी ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर राजवीर/राजू निवासी परास पट्टी मझवार, थाना उमरी बेगमगंज जनपद–गोंडा की हत्या करके घाघरा नदी में फेंक दिया था। जिस सम्बन्ध में दिनांक 01–09–2020 को मु0अ0सं0 184/2020 धारा 302/201 आई0पी0सी0 थाना–उमरी बेगमगंज, जनपद–गोंडा में पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में सभी अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभियुक्त राम किशोर तिवारी उपरोक्त तभी से लगातार अपनी उपस्थिति छुपाते हुए दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में जाकर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने लगा। वह इसी अभियोग के मुकदमें के सम्बन्ध में गोण्डा आया हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 184/2020 धारा 302, 210 भादवि थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा में दाखिल किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 128.880 किलोग्राम गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रूपये) बरामद।

दिनॉकः 26–05–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 128.880 किलोग्राम गॉजा बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– कपिल पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 सेक्टर 14, म0नं0 148 आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा थाना सिकन्दर, आगरा।

2– ईनेश पुत्र इमली नि0 वाकलपुर, थाना–शमशाबाद, आगरा।

3– राहुल सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 गोपालपुरा, थाना शमशाबाद, आगरा।

बरामदगी :–

1– 128.880 किलोग्राम गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रूपये)

2– 01 डीसीएम यूपी 80 एफटी 3483

3– नगद 1600/–

4– 01 अदद मोबाईल फोन।

5– 01 अदद आधार कार्ड।

6– 03 डेबिट कार्ड।

7– 01 ड्राइविंग लाइसेन्स।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–

मुंगारी टोल प्लाजा, थाना क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज दिनांक 26–05–2023 समय प्रातः 04.30 बजे।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदाथ (गॉजा) की बड़ी खेप लेकर जनपद प्रयागराज के रास्ते आगरा जाने वाले हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक श्री जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मु0आ0 चन्द्र प्रकाष, कवीन्द्र साहनी, मृत्युन्जय सिंह, मु0आ0 कमा0 राधेलाल की एक टीम कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद प्रयागराज में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ लोग उड़ीसा राज्य से एक डीसीएम कन्टेनर ट्रक यूपी 80 एफटी 3483 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लेकर प्रयागराज के रास्ते आगरा जायेगे है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से 03 लोगों को मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान से आवश्यक बल प्रयोग कर आज दिनांक 26—05—2023 सुबह 4.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी का एक गिरोह है, इस गिरोह का सरगना विशाल अग्रवाल निवासी आगरा है। विशाल के कहने पर ही हम लोग गॉजा तस्करी करते है और उड़ीसा के ब्रह्मपुर में शंकर नाम के व्यक्ति से गॉजा लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सप्लाई करते है। विशाल से हम लोगों को प्रति चक्कर 30—40 हजार रूपये मिलता है। वर्ष—2017 में विशाल अग्रवाल को 13 कुन्टल गॉजा के साथ एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना—औद्योगिक नगर, प्रयागराज में मु0अ0सं0 115/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———————